

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.  
(आप.प्रक.क्रमांक :- 377/2014)  
(संस्थित दिनांक :- 12/05/2014)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन ।

### /// विरुद्ध ///

01. चन्दू जाट पुत्र प्रताप सिंह जाट, उम्र 25 वर्ष ।
  02. रामवीर जाट पुत्र प्रताप सिंह जाट, उम्र 24 वर्ष ।
  03. श्यामवीर जाट पुत्र प्रताप सिंह जाट, उम्र 21 वर्ष ।
- निवासीगण :- ग्राम झॉकरी, थाना :- मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.) ।

..... अभियुक्तगण ।

### /// निर्णय ///

( आज दिनांक : 02/11/2017 को घोषित )

01. अभियुक्तगण चन्दू, रामवीर एवं श्यामवीर पर भा.द.सं. की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग II के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 25/02/2014 को शाम लगभग 05:00 बजे वोडाफोन टावर झॉकरी पर, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी सुभाष को मौ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी सुभाष की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने लात-घूसों से फरियादी सुभाष की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी सुभाष को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है ।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 25/02/2014 को शाम लगभग 05:00 बजे वोडाफोन टावर झॉकरी पर, आरोपीगण चन्दू, रामवीर एवं छोटू उर्फ श्यामवीर द्वारा फरियादी सुभाष से गाली-गलौच करने, उसकी लात-घूसों से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी सुभाष द्वारा दिनांक : 26/02/2014 को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में उक्त आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 77/2014 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग II सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई । विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया । आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया । फरियादी सुभाष, लवकुश एवं संजू यादव के कथन

लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण चन्दू रामवीर एवं श्यामवीर के विरुद्ध धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग II भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को झूठा फंसाया जाना एवं निर्दोष होना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक :- 25/02/2014 को शाम लगभग 05:00 बजे वोडाफोन टावर झोंकरी पर, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी सुभाष को मॉ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी सुभाष की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने लात-घूसों से फरियादी सुभाष की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?

03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी सुभाष को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

**सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**  
**विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 लगायत 03**

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. विचारण के दौरान विगत तीन वर्षों में कई अवसर दिये जाने के बाद भी अभियोजन फरियादी सुभाष को न्यायालय के समक्ष उसका अभिसाक्ष्य अंकित कराने के लिए उपस्थित करने में असफल रहा है। दिनांक : 12/09/2017 को फरियादी सुभाष की उपस्थिति के लिए जारी वारंट तश्दीक पंचनामा सहित अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त हुआ कि उक्त नाम का कोई व्यक्ति दिये गये पते पर नहीं रहता। उक्त टीप के आधार पर फरियादी सुभाष को अदम् पता घोषित किया गया और

अभियोजन का उसकी साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर समाप्त किया गया।

09. घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी संजू यादव अ.सा.01 एवं लवकुश अ.सा. 02 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपीगण द्वारा दिनांक : 25/02/2014 को शाम लगभग 05:00 बजे वोडाफोन टावर झोंकरी पर, फरियादी सुभाष को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देने, उसकी लात-घूसों से मारपीट करने एवं उसे जान से मारने की धमकी देने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

10. प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्ष्य से आरोपीगण द्वारा आरोपित अपराध करने के संबंध में कोई तथ्य प्रकट ना होने के कारण डॉ.आर.विमलेश अ.सा.03, प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक निहाल सिंह अ.सा.05 एवं विवेचक विनोद भार्गव अ.सा.04 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

11. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक :- 25/02/2014 को शाम लगभग 05:00 बजे वोडाफोन टावर झोंकरी पर, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी सुभाष को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी सुभाष की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने लात-घूसों से फरियादी सुभाष की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी सुभाष को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

### अंतिम निष्कर्ष

12. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपीगण आरोपीगण चन्दू, रामवीर एवं श्यामवीर के विरुद्ध धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को भा.द.सं. की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

